

पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY



कार्यालय
महाप्रबंधक(का)
हाजीपुर

PCPO's Sl. Cir. No.108/2023

RBE No. 113/2023

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/9/2023 Com.No.207408)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषय:-Engagement of Ex-servicemen as Gatemen on Contract Basis.

संदर्भ:-Railway Board's letter No.-E(NG)II/2021/RC-4/1, Dated-06.10.2023.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

DA: As above.

Digitally Signed by Manoj

Ku Choudhary

(मनीज कुमार चौधरी)
Date: 16-10-2023 11:45:46

सकाधि/ईएसएम
Reason: Approved

प्रतिलिपि/— निम्नलिखित को सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि(एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर—कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

No. E(NG)II/2021/RC-4/1

New Delhi, dated 06.10.2023

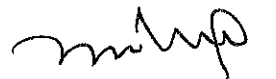
The General Manager (P),
All Zonal Railways (As per standard mail list)

Sub: Engagement of Ex-Servicemen as Gatemen on Contract Basis.

Ref: Board's letter No. E(NG)II/2021/RC-4/1 dated 03.04.2023 (RBE No.48/2023).

In terms of Board's letter cited under reference, the scheme for engagement of Ex-servicemen as Gatemen (both Civil & Traffic departments) on contract basis was last extended up to 30.09.2023.

2. The aforesaid scheme has been reviewed and it has now been decided to extend the scheme of engagement of Ex-servicemen on contract basis against the existing vacancies for a further period of one year beyond 01.10.2023 i.e. up to 30.09.2024 as per extant terms and conditions. Engagement should be made in the category of Gateman only. The Railway wise quota of such engagement shall be limited to 15,364/ (fifteen thousand three sixty four only) numbers as indicated in the enclosed "Annexure". Since the actual requirement at each railway is a dynamic figure dependent on the results of recruitment exercises, etc, the number of Gatemen indicated in "Annexure" should be treated as a ceiling and reviewed as per actual requirement and need.
3. It may be ensured that the engagement of Ex-servicemen as Gatemen on contract basis is mandatorily done through GeM only.
4. It is reiterated that the above engagements should be phased out gradually with the joining of regular employees. This should be closely monitored at zonal level.



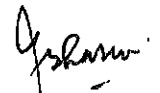
(U.K. Tiwari)
Director Estt.(N)
Railway Board

No. E(NG)II/2021/RC-4/1

New Delhi, dated 06.10.2023

Copy to:

- i. The Principal Financial Advisor, All Indian Railways/PUs.
- ii. The Principal Director of Audit, All Indian Railways/PUs.
- iii. The Dy. Comptroller and Auditor General of India (Rlys) Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.



For Member Finance/Railway Board

Copy to: (i) PSO/Sr.PPS/PPSs/PSs/PA to: CRB & CEO, M/Finance, M/Infra, M/T&RS, M/O&BD,
DG/HR, PED/Staff.
(ii) F(E) Spl. Branch of Railway Board

Annexure to Railway Board's letter No. E(NG)II/2021/RC-4/1 dated 06.10.2023(RBE No. 113 /2023)

S.No.	Zonal Railway	Total allotment of ex-Serviceman as Gateman(Civil) on contract basis	Total allotment of ex-Serviceman as Gateman(Traffic) on contract basis	Total allotment of ex-Servicemen as Gatemen (Civil + Traffic) on contract basis
1	CR	565	411	976
2	ER	0	159	159
3	ECR	411	514	925
4	ECOR	350	507	857
5	NR	1068	183	1251
6	NCR	0	621	621
7	NER	726	690	1416
8	NFR	1443	546	1989
9	NWR	420	444	864
10	SR	1847	411	2258
11	SCR	35	390	425
12	SER	468	246	714
13	SECR	0	330	330
14	SWR	674	93	767
15	WR	0	1212	1212
16	WCR	366	234	600
Grand Total		8373	6991	15364



आरबीई सं. 113/2023

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई (एनजी)II/2021/आरसी - 4/1

नई दिल्ली, दिनांक : 06.10.2023

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें (मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: संविदात्मक आधार पर पूर्व सैनिकों का बतौर गेटमैन नियोजन।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 03.04.2023 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2021/आरसी-4/1 (आरबीई सं.48/2023)

बोर्ड के उद्धृत पत्र के अनुसार, संविदा के आधार पर पूर्व सैनिकों की बतौर गेटमैन (सिविल और यातायात विभाग, दोनों) नियोजन की योजना को पिछली बार 30.09.2023 तक बढ़ाया गया था।

2. पूर्वोक्त योजना की समीक्षा की गई है और अब मौजूदा रिक्रियों पर संविदा के आधार पर पूर्व सैनिकों के नियोजन की योजना को मौजूदा निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार 01.10.2023 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 30.09.2024 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है। नियुक्ति केवल गेटमैन कोटि में ही की जाए। रेल-वार इस प्रकार के नियोजन का कोटा 15,364 (मात्र पन्द्रह हजार तीन सौ चौसठ) की संख्या तक सीमित होगा जैसा कि संलग्न "अनुलपत्रक" में दर्शाया गया है। क्योंकि किसी रेल पर वास्तविक आवश्यकता भर्ती प्रक्रिया के परिणाम इत्यादि पर आधारित एक गतिशील संख्या होगी, अतः "अनुलपत्रक" में इंगित संख्या को अधिकतम सीमा माना जाना चाहिये तथा इसकी समीक्षा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर करते रहना चाहिये।

3. यह सुनिश्चित किया जाए कि संविदा के आधार पर पूर्व सैनिकों का बतौर गेटमैन नियोजन अनिवार्यतः केवल GeM के माध्यम से की जाए।

4. यह दोहराया जाता है कि नियमित कर्मचारियों के कार्यग्रहण करने के साथ-साथ उपरोक्त नियोजनों को उत्तरोत्तर हटाया जाए। इसकी क्षेत्रीय रेल स्तर पर कड़ी निगरानी की जाए।



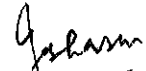
(यू.के. तिवारी)
निदेशक/स्थापना (अराजपत्रित)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एनजी)II/2021/आरसी - 4/1

नई दिल्ली, दिनांक : 06.10.2023

प्रतिलिपि प्रेषित:

- प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
- प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
- भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।



कृते सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित: अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/रेलवे बोर्ड, सदस्य/वित्त, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक, सदस्य/परिचालन एवं व्यवसाय विकास, प्रधान कार्यपालक निदेशक/कार्मिक के पीएसओ/वरिष्ठ पीपीएस/पीपीएस/पीएस/पीएस।
(ii) रेलवे बोर्ड की वित्त(स्था.) विशेष शाखा

रेलवे बोर्ड के दिनांक : 06.10.2023 के पत्र सं. ई(एनजी)II/ 2021/आरसी-4/1 (आरबीई सं. 113/2023) का
अनुलग्नक

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलें	संविदात्मक आधार पर पूर्व सैनिकों का बतौर गेटमैन (सिविल) कुल आवंटन	संविदात्मक आधार पर पूर्व सैनिकों का बतौर गेटमैन (यातायात) कुल आवंटन	संविदात्मक आधार पर पूर्व सैनिकों का बतौर गेटमैन (सिविल + यातायात) कुल आवंटन
1	मध्य रेलवे	565	411	976
2	पूर्व रेलवे	0	159	159
3	पूर्व मध्य रेलवे	411	514	925
4	पूर्व तट रेलवे	350	507	857
5	उत्तर रेलवे	1068	183	1251
6	उत्तर मध्य रेलवे	0	621	621
7	पूर्वोत्तर रेलवे	726	690	1416
8	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	1443	546	1989
9	उत्तर पश्चिम रेल	420	444	864
10	दक्षिण रेलवे	1847	411	2258
11	दक्षिण मध्य रेल	35	390	425
12	दक्षिण पूर्व रेलवे	468	246	714
13	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	0	330	330
14	दक्षिण पश्चिम रेलवे	674	93	767
15	पश्चिम रेलवे	0	1212	1212
16	पश्चिम मध्य रेलवे	366	234	600
कुल योग		8373	6991	15364

Signature